3. निष्क्रियता संबंधी पत्राचार की पूर्व सूचना (14वां और 21वां महीना)

विषय: खाते की स्थिति को निष्क्रिय स्थिति में बदलना

प्रिय ग्राहक,

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पिछले 21 महीनों में उल्लिखित खाते में आपके द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है.

यदि खाता तीन महीने तक निष्क्रिय रहता है, तो बैंक आपके खाते की स्थिति को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करेगा.

खाते के निष्क्रिय हो जाने के प्रभाव/परिणाम निम्नानुसार हैं:

- एटीएम/डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा
- उक्त खाते तक नेटबैंकिंग की पहुँच नकार दी जाएगी
- फोनबैंकिंग आदि जैसे अन्य प्रत्यक्ष बैंकिंग चैनल संभव नहीं होंगे

कृपया ध्यान दें कि निष्क्रिय हो जाने के बाद आप अपने खाते तक पहुँच प्राप्त नहीं कर पाएंगे या उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे. फिर भी, आप केवाईसी दस्तावेज़ जमा करके अपने खाते को पुनः सक्रिय कर सकते हैं.

यह पत्र केवल आपकी जानकारी/सूचना के लिए है. यदि आपके पास कोई और प्रश्न हैं या आपको जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया अपने शाखा प्रबंधक से संपर्क करें.

हम आपको हर समय हमारी सर्वोत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हैं.

शुभकामनाओं सहित,
एचडीएफसी बैंक

यह कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई एड्वाइस है और इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.